बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, वेबसाईट : https://bsea.bihar.gov.in, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 20/08/2025

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ स्था० 2(2)3/2025 2481 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1710 दिनांक 08.05.2025 द्वारा अररूआ पैक्स, प्रखंड- करगहर, जिला- रोहतास के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अररूआ पैक्स की मतदाता सूची के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका संख्या 3288/2025 देवांशु कुमार बनाम- बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 28.05.2025 को निम्नांकित आदेश पारित हुआ था

With the consent of both the parties, the same Election Authority is permitted to conduct the election to constitute the Managing Committee. However, the result of the Election is directed to be withheld till the disposal of the present Writ Petition. In other words, the election process will go on but the declaration of result would be subject to out come of the Writ Petition.

2. उक्त आदेश की प्रति प्राधिकार के पत्रांक 1887 दिनांक 03.06.2025 के साथ संलग्न करते हुए आदेश का अक्षरश: अनुपालन करने का निर्देश अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी, करगहर को दिया गया था।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में दिनांक 14.07.2025 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है-

"The learned counsel for the petitioner submits that election has already been held on 12.06.2025, in which the petitioner has been declared elected, hence no cause of action survives for the petitioner to continue to press this writ application and therefore he prays for withdrawing the same.

As prayed for, this writ application is disposed off as withdrawn on account of having become infructuous."

4. चूँकि प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1710 दिनांक 08.05.2025 के आलोक में दिनांक 12.06.2025 को अररूआ पैक्स का मतदान एवं मतगणना संपन्न हो चुका है। अत: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में मतगणना में निर्वाचन योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया जाता है।

5. अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), करगहर दिनांक 25.08.2025 को निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करने के पश्चात् उसी दिन प्रपत्र- ई० 18 (निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची) एवं अंतिम मतदाता सूची प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे। तदनुसार दिनांक 26.08.2025 को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होगी।

(कयूम अंसारी) 20/8/25
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2481 पटना/ दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

20/8/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2481 पटना/ दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), रोहतास/ पुलिस अधीक्षक, रोहतास/ उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स०स०), रोहतास/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास/ अंचलाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), करगहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2481 पटना/ दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2481 पटना/ दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2481 पटना/ दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेबसाईट पर की जानेवाली विभिन्न प्रविष्टियों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

20/8/25

संयुक्त सचिव।